न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 13 / 2016 अपील / बांसवाड़ा
पंजीयन दिनांक– 03.08.2016
निर्णय दिनांक– 15.05.2019

1. श्री रतनलाल पिता स्व. श्री छगनलाल दर्जी निवासी भुवासा हाल गनोड़ा जिला बांसवाड़ा
2. श्री लक्ष्मीलाल पिता स्व. श्री छगनलाल दर्जी निवासी भुवासा हाल पीपलखूंट जिला बांसवाड़ा

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री सुन्दरलाल पिता स्व. श्री छगनलाल दर्जी निवासी भुवासा तहसील गनोड़ा जिला बांसवाड़ा
2. सरपंच, ग्राम पंचायत, भूवासा तहसील गनोड़ा
3. तहसीलदार बांसवाड़ा

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :–
श्री संजय सैन : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री महेश भट्ट : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घाटोल
के प्रकरण संख्या 01 / 2016 निर्णय दिनांक 14.07.2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक–15.05.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

घाटोल के प्रकरण संख्या 01/2016 निर्णय दिनांक 14.07.2016 के विरूद्ध दिनांक 03.08.2016 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भूवासा तहसील गनोड़ा जिला में उनके पिता स्व. श्री छगनलाल दर्जी की मृत्यु के पश्चात् उनके नाम दर्ज भूमि का विरासत से उनके पुत्रों अपीलान्ट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरकण 551 दिनांक 20.08.2012 से ग्राम पंचायत भुवासा द्वारा स्वीकृत किया गया। जिससे असन्तुष्ट होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई कि उक्त भूमि उसके पिता की स्वअर्जित सम्पति होकर उनके द्वारा उसके नाम पर वसीयत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.07.2016 से नामान्तरकण संख्या 551 को निरस्त करते हुए वसीयल अनुसार भूमि दर्ज करने के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 1 के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 09.05.2019 को सुनी गई। रेस्पो. सं. 2 व 3 बावजूद तामिल अनुपस्थित है तथा वे अन्यथा भी औपचारिक पक्षकारान है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौरान बहस बताया कि विवादग्रस्त भूमि श्री छगनलाल दर्जी के नाम पर दर्ज थी। श्री छगनलाल जी मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम विरासत से नामान्तरकरण संख्या 551 दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत होने के तीन साल बाद अधीनस्थ न्यायालय में बिना कोई कारण बताये देरी से अपील प्रस्तुत की जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विरासत से खुले उक्त नामान्तरकरण की पूर्ण जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी विलम्ब से प्रस्तुत अपील को भी स्वीकार करने में भारी भूल की है। नामान्तरकरण एक समरी प्रोसिसिंग है जिसमें हित व अधिकारों को तय नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वसीयत को सक्षम न्यायालय में सही साबित भी नहीं कराया गया है। उक्त अभिकथनों की पुष्टि हेतु न्यायिक दृष्टान्त सुप्रीम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोर्ट RRT 2009-10 Page 61, एवं उच्च न्यायालय RRT 2003 (1) Page 651, RRT 2003 (2) Page 870, RRT 2017 (2) Page 1355, RRD 2004 Page 727, RRT 2016(2) Page 1442 प्रस्तुत किये एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने हेतु इश्तदुआ की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने अभिकथन में बताया कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता श्री छगनलाल की मृत्यु के पश्चात विरासत से उनके तीनों भाईयों के नाम नामान्तरकरण संख्या 551 दर्ज कर स्वीकृत किया गया। उस समय उसे विरासत की जानकारी नहीं थी, उसे जब उसके पिता के द्वारा उनकी सम्पति की रजिस्टर्ड वसीयत पत्र से उसके नाम वसीयत किये जाने की जानकारी होने एवं वसीयत पत्र मिलने पर उसके द्वारा वसीयत पत्र के आधार पर पिता की भूमि उसके नाम दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत पत्र के आधार पर वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 551 को निरस्त करते हुए विधि अनुसार वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश जारी किये गये। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा नहीं है कब्जा मेरा ही है। अपीलान्ट्स द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत पत्र के संबंध में सक्षम न्यायालय में आज तक कोई आपत्ति भी पेश नहीं की गई है। वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के संबंध में न्यायिक नजीर RRD 2016 Page 14 प्रस्तुत की एवं अपील अपीलान्ट को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन किया। समग्र प्रकरण के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि मृतक श्री छगनलाल की मृत्यु दिनांक 24 मई, 2012 को हुई है तथा उसकी मृत्यु उपरान्त उसकी विरासत का इन्तकाल उसके तीनों पुत्रों अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दिनांक 20.08.2012 को स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सुव्यक्त रूप से अपने अपील आवेदन तथा मियाद आवेदन में यह व्यक्त किया है कि अपीलान्ट को अपने पिता के देहान्त बाद उनकी पेटी में रखी हुई वसीयत दिनांक 26.08.1995 को प्राप्त होने पर उसके द्वारा कार्यवाही किये जाने पर उसे दिनांक 20.08.2012 के

नामान्तरकरण निर्णय की जानकारी हुई। वसीयत पंजीकृत है तथा रेस्पोडेन्ट को नामान्तरकरण संख्या 551 निर्णय दिनांक 20.08.2012 की पूर्व जानकारी होने के बाबत कोई साक्ष्य व रेकर्ड उपस्थित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में आख्यापक टीप करते हुए मियाद आवेदन स्वीकार किया है, तद्नुसार प्रकरण में अपीलान्ट के मियाद बाबत उज्र समायत योग्य नहीं है तथा प्रकरण में श्री छगनलाल की विरासत का नामान्तरकरण, पंजीकृत वसीयत के बरूए त्रुटिपूर्ण होने के कारण उस पर पुनः विचार निःसंदेह वांछनीय था। अपीलान्ट के अन्य प्रमुख उज्र यह है कि वसीयत से उत्तराधिकार नामान्तरकरण की समरी एवं वित्तीय प्रक्रिया में तय नहीं किये जा सकते तथा उसके द्वारा इसी को लेकर न्यायिक नजीरे सुप्रीम कोर्ट RRT 2009-10 Page 61, एवं उच्च न्यायालय RRT 2003 (1) Page 651, RRT 2003 (2) Page 870, RRT 2017 (2) Page 1355, RRD 2004 Page 727, RRT 2016(2) Page 1442 प्रस्तुत की है। उपरोक्त सभी न्यायिक नजीरों का परिशीलन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि इस प्रकरण में अपीलान्ट का यह कहीं भी तर्क/खण्डन/साक्ष्य नहीं है कि विवादित भूमियां मृतक छगनलाल की स्वअर्जित नहीं थी, अर्थात् छगनलाल उक्त वसीयत को निष्पादित करने को विधिक रूप से अधिकृत थे। वसीयत पंजीकृत है तदनुसार वसीयत के प्रमाणिकरण की कोई विधिक आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त अपीलान्ट की समस्त न्यायिक नजीरे रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर RRD 2016 Page 14 के बमुकाबले मान्य नहीं रहती क्योंकि स्वअर्जित सम्पति के संबंध में पंजीकृत वसीयत से रूष्ट वसीयत गृहिता के अलावा अन्य को यदि अपना अधिकार समझते है तो उन्हें नियमित वाद कर अथवा वसीयत को अपास्त करवाकर अपने हक अधिकार तय करवाने चाहिये, न कि स्वअर्जित सम्पति की पंजीकृत वसीयत गृहिता पर इस दायित्व को डाला जायें। किसी भी न्यायिक व्यवस्था में न्याय व साम्या का सर्वाधिक महत्व होता है, इस प्रकरण में मृतक छगनलाल द्वारा अपनी स्वअर्जित सम्पतियों की पंजीकृत वसीयत में व्यक्त रूप से यह उल्लेख किया गया है कि दोनों अपीलान्ट पुत्र वर्षों से मृतक सम्पति धारक पिता से अलग रहते है तथा मृतक सम्पति धारक की कोई सेवा सुश्रुषा, भरण पोषण तथा चिकित्सा में सहायता नहीं की है तथा उसने यह भी कथन किया है कि वह अपीलान्ट दोनों पुत्रों को अपनी सम्पति से पृथक करता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उनकी सेवा इत्यादि से संतुष्ट होकर

अपनी स्वअर्जित सम्पति वसीयत करता है। उपरोक्त परिस्थितियों में सामाजिक व्यवस्था तथा न्याय की यह वांछना रहती है कि यदि किसी पिता की स्वअर्जित सम्पति हो तथा यदि कोई पुत्र उसकी वृद्धावस्था में सार–संभाल नहीं करे तो पिता को उसके नैसर्गिक व विधिक अधिकार के तहत अपनी सम्पति का अपने हितार्थ उपयोग करने की अनुज्ञा दी जाय न कि सिर्फ पुत्र होने के कारण उसके पुत्रों को पुत्रत्व के आधार पर उन्हें पिता की सम्पति में उसकी जरावस्था में सेवा नहीं करने के उपरान्त भी उन पुत्रों को उस पिता की स्वअर्जित सम्पति में अधिकार दे दिया जायें। उपरोक्त परिस्थितियों में श्री छगनलाल की स्वअर्जित सम्पति की पंजीकृत वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को छगनलाल का उत्तराधिकारी मानने एवं वसीयत से पृथक अन्य पुत्रों को प्राप्त उत्तराधिकार का अवसान करने का अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हम तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से औचित्यपूर्ण पाते है। उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official